सॅख्याः 79 / XXIV–3 / 2006

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरॉचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरॉचल, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनॉक 28 जनवरी,2006

विषयः सहायता प्राप्त उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त वेतन भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः अर्थ–1 / 55985 / पुनर्विनियोग / 2005–06 दिनॉक 06–12–2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में सहायता प्राप्त उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त वेतन भुगतान हेतु रू0 80,00,000 / – (रूपये अस्सी लाख मात्र) की धनराशि को पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों के कार्यान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों / शासनादेशों के तहत निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जायेगाः–

(1)– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति /स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(2)– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवयल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हों।

(3)– अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(4)– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या– 11 के अधीन लेखा शीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा– 02 –माध्यमिक शिक्षा– आयोजनागत के अन्तर्गत संलग्न बी.एम.–15 में उल्लिखित संबंधित ब्यौरेवार शीर्षक के नामें डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–532/वित्त अनु0–3/2005 दिनाँक 27–01–2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक– बी0एम0–15 प्रपत्र।

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

सॅख्याः 79 (1)/ XXIV–3/2006 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरॉचल, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल– पौड़ी/ कुमायूॅ मण्डल–नैनीताल।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6– समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
7– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तरांचल।
8– वित्त अनुभाग–3 / नियोजन प्रकोष्ठ।
9– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)।
10– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
11– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संलग्नक– बी0एम0–15 प्रपत्र।

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग – 3
संख्याः 5324/XXVI(3)/2006
देहरादून दिनॉक 27 जनवरी,2006
28

पुनर्विनियोग स्वीकृत।

27/1/2006
(एल0 एम0 पन्त)
अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी)
उत्तरांचल, देहरादून ।

संख्याः 79 (1)/XXI V-3/2006/तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल, देहरादून।
2– समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3– वित्त अनुभाग–3।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

नियत्रंक अधिकारी शिक्षा सचिव (पैरा–156) प्रशासकीय विभाग माध्यमिक शिक्षा

वित्तीय वर्ष– 2005–06 अनुदान संख्या–11 (धनराशि हजार रूपये में)

आयोजनागत

प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है तथा स्थानान्तरित धनराशि	पुनर्वियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–1में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2202–सामान्य शिक्षा– 01– प्रारम्भिक शिक्षा– 102– अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता – 17– शिक्षक बन्धुओं को मानदेश का भुगतान–				2202–सामान्य शिक्षा– 02– माध्यमिक शिक्षा– 110– गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता– 04–अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता – 0403–सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त वेतन भुगतान हेतु अनुदान–			सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त पद के सृजन एवं पदोन्नति होने से वेतन भुगतान हेतु धनराशि की आवश्यकता है।
20– सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता– 50000	22026	19974	8000	43–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान– 8000	17000	42000	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव